घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001
Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( )तकनिकी / मुवसं / 2022–23 / 506 दिनांक :– 23/1/2023

निमित्,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 K.M. 59/0 K.M. & 76/0 K.M. (SH-81) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के संबंध में। Proposal No. FP/RJ/ROAD/143853/2021

संदर्भः—आपका पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से **3.4680 हैक्टयर** वनभूमि के प्रस्ताव में 8 बिन्दुओं पर आक्षेप लगाए जाकर वांछित सूचना चाही गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा उनके पत्रांक एफ ()/तक./उवसं/2022–23/ 341 दिनांक 11.01.2023 से प्रकरण में बिन्दुवार पूर्ति की जाकर प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय के सहमती के साथ ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

दिनांक :–

क्रमांक पत्रा 5( )वसु/मुवसं/2022–23/

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1–उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को उनके पत्रांक 341 दिनांक 11.01.2023 के क्रम में
2– अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि., खण्ड प्रथम, प्रतापगढ़ (राज.)।

ई०/–
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक /एफ( )/तक./उवसं/2022–23/341 दिनांक 11/01/2023

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय:–Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण के सम्बन्ध में।

(FCA Proposal No:-FP/RJ/Road/143853/2021)

प्रसंग:–अति.प्र.मु.व.सं. प्रो. एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. जयपुर का पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 एवं आपका पत्रांक 8296 दिनांक 22.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पुर्ति युजर ऐजेन्सी सा.नि.वि. खण्ड प्रथम प्रतापगढ़ के पत्रांक 667 दिनाक 15.12.2022 से हार्ड कॉपी तथा Online प्रकरण दिनांक 09.01.2023 से पूर्ति कर बिन्दुवार रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई। प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है–

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	प्रस्ताव में संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तावित रोड रक्षित वनखण्ड (चेनेज संख्या 30) में से होकर गुजर रहा है। उक्त वन क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है। कारण स्पष्ट करें।	जीटी शीट पर मार्क चैनेज संख्या 30 पर जो रक्षित वन खण्ड दिखाई दे रहा है वह अधिसूचित वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है तथा जीटी शीट पर ग्रीन बॉक्स किया गया है। उक्त भूमि वास्तविक रूप से गैर वन भूमि है।
2.	पार्ट–I के बिन्दु संख्या ई में रोजगार के सृजन की सूचना सही नहीं है।	युजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि पार्ट–I के बिन्दु ई के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में नियमित कर्मचारी नहीं लग सकते है तथा सड़क के निर्माण कार्य के दौरान संवेदक के ही मजदुर/कर्मचारी कार्य करेगें जिसकी अनुमानित श्रमिक संख्या 20 होगी।
3.	पार्ट–I के बिन्दु संख्या L में प्राप्त गैर वन भूमि किस ग्राम में प्राप्त हुई है। अंकित नहीं है।	जिला कलक्टर प्रतापगढ के द्वारा राजस्व गॉव आमलीखोरा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। पार्ट–I के बिन्दु संख्या 2 में पूर्ति कर दी गई है।
4.	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वन भूमि मृदा एवंज ल संरक्षण कार्य वृत में आति है एवं प्रस्तावित क्षेत्र में मध्यम प्रवृति का अपरदन भूमि की संभावना है। इस हेतु मृदा अपरदन को रोके जाने की कोई उपचार योजना संलग्न नहीं की गई है।	युजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित सड़क मार्ग में मृदा के अपरदन को रोकने हेतु सड़क के आर ओ डब्ल्यु के अन्दर ड्रेनेज (नाली) का निर्माण किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार वृक्षो का रोपण भी किया जावेगा।

5.	उपवन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में प्रत्यावर्तित वन भूमि रक्षित वन भूमि अंकित है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त वन खण्ड का उल्लेख अंकित नहीं है एवं अतिरिक्त सूचनाओं में वन खण्ड के राज्य पत्र की प्राप्ति संलग्न नहीं की गई है।	प्रत्यावर्तित वन भूमि रक्षित वन भूमि के अन्तर्गत आती है। प्रत्यावर्तित वन भूमि वनखण्ड मल्हाडा,चिकलाड के अधिन आती है। जिसके राजपत्र में अधिसूचित करने की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रस्तावित सडक में पातन होने वाले वृक्षो की सूची चैनेज अनुसार संलग्न नहीं की गई है।	युजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित सडक के आर. ओ. डब्ल्यु. के अन्तर्गत डामरीकृत किये जाने वाले भाग पर कोई भी वृक्ष विधमान नही है। तथा जो वृक्ष विधमान है वो भी प्रस्तावित सडक के सोल्डर के अन्तिम छोर पर स्थित है। उक्त कारण से प्रस्तावित सडक के कार्य में किसी भी वृक्ष का पातन किया जाना प्रस्तावित नही है।भविष्य में उक्त पेडो की छंगाई हमारे द्वारा कराई जावेगी।उक्त सडक आर.ओ.डब्ल्यु. में 179 वृक्ष विधमान है। जिसकी सूची संलग्न है।
7.	उपवन संरक्षक द्वारा संलग्न किये गये स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र में 1000 से कम पौधे रक्षित नहीं होने का उल्लेख नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 मार्ग दर्शिका अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में 1000 पौधे लगाये जाने प्रस्तावित है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई गैर वन भूमि तथा परिभाषित वन भूमि का संक्षिप्त विवरण संलग्न प्रेषित है।
8.	प्रस्ताव गैर वनभूमि के आस पास कोई वन क्षेत्र होना नहीं दर्शाया गया है। उपवन संरक्षक द्वारा किस प्रकार उक्त भूमि का प्रबन्धन किया जावेगा।	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि के पास पूर्व में भी 17.67 है0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित किया गया है। उक्त 17.67 है0 के समीप एक अन्य प्रकरण में 16 है0 गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार इस क्षैत्र में कुल 37.138 है0 गैर वन भूमि स्थित है। उक्त क्षैत्र में वनस्पति/पेड–पौधो का घनत्व अधिक है। उक्त क्षैत्र में 200 पौधों का रोपण ही किया जाएगा। वन प्रबन्ध हेतु युजर ऐजेन्सी से 13 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त की जावेगी।

(सुनील कुमार भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ (राज.)

Dupty Conversation of Forest Pratapgarh

Proposal Name -Widening & Stentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 K

Proposal No.FP/RJ/ROAD/143853/2021

List of trees

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.	Total
1	Butea Monosperma	palash	78	15	6	1	0	0	100
2	Acacia Nilotica	babool	0	1	2	1	1	0	5
3	Terminialia Crenulata	sadar	1	0	1	0	0	0	2
4	Ziayphus xylopyra	ber	1	0	0	0	0	0	1
5	Bombax Ceiba	zizha	3	0	0	0	0	0	3
6	Aegle Marmelos	Bhelpatra	7	1	0	0	0	0	8
7	Others	Umbyia	2	0	0	0	0	0	2
8	Albezzia Labbeck	Sirash	2	0	0	0	0	0	2
9	Others	kADAYA	1	0	0	0	0	0	1
10	Others	kADAM	2	0	0	0	1	0	3
11	Others	KALPATTA /LASODA	5	0	0	0	0	0	5
12	Acacia leucophloea	RONJ	1	0	0	0	0	0	1
13	Azadirachta Indica	NEEM	1	0	2	0	0	0	3
14	Tectona Grandis	Teak	19	5	3	1	1	0	29
15	Others	kaaker / kikar	6	0	0	0	0	0	6
16	Cassia Fistula	amltash	4	1	0	0	0	0	5
17	Diasporus Melanoxylon	Tendu	2	0	1	0	0	0	3
Total			135	23	15	3	3	0	179
Sub Total (No of Trees.)			179						

प्रस्तावित सड़क के कार्य में किसी भी वृक्ष का पातन किया जाना प्रस्तावित नही है। 179 पेड़ो की छंगाई गुजर ऐजेन्सी द्वारा कराई जावेगी।

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Deputy Conservator of Forest, Pratapgarh (Rajasthan)

Full Title of the Project: Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण के सम्बन्ध में।

File No. : FP/RJ/ROAD/143853/2021

Date of Proposal: 25/06/2021

–:क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई भुमियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण:–

- उक्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में जिला कलक्टर प्रतापगढ के आदेश क्रमांक 2270–75 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु गांव आमलीखोरा तह. प्रतापगढ में कुल 3.468 है0 गैर वन भूमि का आंवटन वन विभाग के पक्ष में किया गया है। आवटित शुदा गैर वन भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति एवं रूट स्टॉक के कारण केवल 200 पौधों का रोपण प्रति है0 किया जाना संभव हो सकेगा। जबकि निर्देशानुसार प्रति है0 1000 पोधो का रोपण किया जाना होता है। वन संरक्षक अधिनियम 1980 के दिशा निर्देश (हेण्ड बुक) के अध्याय 2 के अनुसरण में शेष 800 पोधो का रोपण परिभ्रांषित वन भूमिपर किया जायेगा, इस हेतु युजर ऐजेन्सी भी सहमत है।

(सुनील कुमार, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ

क्रमांक 3622
दिनांक 19/12/22

कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड प्रथम प्रतापगढ़

क्रमांक: 2022–23 / 667 दिनांक:– 15/12/2022

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

FCA
16/12/2022

विषय:–Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के सम्बन्ध में।

(FCA Proposal No:-FP/RJ/Road/143853/2021)

प्रसंग:–अति.प्र.मु.व.सं. प्रो. एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. जयपुर का पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 एवं आपका पत्रांक 7173 दिनांक 25.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पुर्ति बिन्दुवार निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	प्रस्ताव में संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तावित रोड रक्षित वनखण्ड (चेनेज संख्या 30) में से होकर गुजर रहा है। उक्त वन क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है। कारण स्पष्ट करें।	जीटी शीट पर मार्क चैनेज संख्या 30 पर जो रक्षित वन खण्ड दिखाई दे रहा है वह अधिसूचित वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है तथा जीटी शीट पर ग्रीन वॉच किया गया है। उक्त भूमि वास्तविक रूप से गैर वन भूमि है।
2.	पार्ट–I के बिन्दु संख्या ई में रोजगार के सृजन की सूचना सही नहीं है।	पार्ट–I के बिन्दु ई के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में नियमित कर्मचारी नहीं लग सकते है तथा सड़क के निर्माण कार्य के दौरान संवेदक के ही मजदुर/कर्मचारी कार्य करेगें जिसकी अनुमानित श्रमिक संख्या 20 होगी।
3.	पार्ट–I के बिन्दु संख्या L में प्राप्त गैर वन भूमि किस ग्राम में प्राप्त हुई है। अंकित नही है।	जिला कलक्टर प्रतापगढ के द्वारा राजस्व गॉव आमलीखोरा में क्षति पूरक वृक्षा रोपण हेतु गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। पार्ट वन के बिन्दु संख्या 2 में पूर्ति कर दी गई है।
4.	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वन भूमि	प्रस्तावित सड़क मार्ग में मृदा के अपरदन को रोकने हेतु

	मृदा एवंज ल संरक्षण कार्य वृत में आति है एवं प्रस्तावित क्षेत्र में मध्यम प्रवृति का अपरदन भूमि की संभावना है। इस हेतु मृदा अपरदन को रोके जाने की कोई उपचार योजना संलग्न नहीं की गई है।	सड़क के आर ओ डब्ल्यु के अन्दर ड्रेनेज (नाली) का निर्माण किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार वृक्षो का रोपण भी किया जावेगा।
5.	उपवन संरक्षक द्वारा पार्ट–ा में प्रत्यावर्तित वन भूमि रक्षित वन भूमि अंकित है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त वन खण्ड का उल्लेख अंकित नहीं है एवं अतिरिक्त सूचनाओं में वन खण्ड के राज्य पत्र की प्राप्ति संलग्न नहीं की गई है।	उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है।
6.	प्रस्तावित सडक में पातन होने वाले वृक्षो की सूची चैनेज अनुसार संलग्न नहीं की गई है।	प्रस्तावित सड़क मे हमारे द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। अगर कोई वृक्ष हमारी सड़क सीमा (पटरी पर) में आ रहा होगा तो हमारे द्वारा उस पेड़ पर रिफ्लेक्टर लगवा दिया जावेगा। जिससे सड़क दुर्घटना नहीं हो।
7.	उपवन संरक्षक द्वारा संलग्न किये गये स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र में 1000 से कम पौधे रक्षित नहीं होने का उल्लेख नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 मार्ग दर्शिका अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में 1000 पौधे लगाये जाने प्रस्तावित है।	उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है।
8.	प्रस्ताव गैर वनभूमि के आस पास कोई वन क्षेत्र होना नहीं दर्शाया गया है। उपवन संरक्षक द्वारा किस प्रकार उक्त भूमि का प्रबन्धन किया जावेगा।	उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है।

(अशोक कुमार खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड I प्रतापगढ़

कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड़ प्रथम प्रतापगढ़

क्रमांकः 2022–23/751 दिनांकः–10/01/2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ राजस्थान।

विषयः–Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के सम्बन्ध में।

(FCA Proposal No:-FP/RJ/Road/143853/2021)

प्रसंगः–अति.प्र.मु.व.सं. प्रो. एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. जयपुर का पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 एवं आपका पत्रांक 7173 दिनांक 25.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 6 के संबंध में पुनः आप द्वारा स्पष्ट सुचना चाही गई है। जिसका प्रत्युत्तर निम्नानुसार है–

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	प्रस्तावित सडक में पातन होने वाले वृक्षो की सूची चैनेज अनुसार संलग्न नहीं की गई है।	प्रस्तावित सडक के आर. ओ. डब्ल्यु. के अन्तर्गत डामरीकृत किये जाने वाले भाग पर कोई भी वृक्ष विधमान नही है। तथा जो वृक्ष विधमान है वो भी प्रस्तावित सडक के सोल्डर के अन्तिम छोर पर स्थित है। उक्त कारण से प्रस्तावित सडक के कार्य में किसी भी वृक्ष का पातन किया जाना प्रस्तावित नही है।भविष्य में उक्त पेडो की छंगाई हमारे द्वारा कराई जावेगी। ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना नही हो पाये।

(अशोक कुमार खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड I प्रतापगढ़

FCA

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या न०1(6)(3) राज/ग/72 — दिनांक [illegible]

चूंकि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और [illegible] व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या परगना	मौजा	क्षेत्रफल [illegible] या बीघा एकड़ों में	विशेष विवरण
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	६८४=२८	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	२७१=५४	परिशिष्ट (अ)
			[illegible]	७५१=५४	[illegible]
			[illegible]	४४७ = ९०	
			[illegible]	१२१ = ०२	
			[illegible]	३७=८६	
			[illegible]	३६२=७६	
			[illegible]	१०५०=१२	
			[illegible]	१३७ = ८८	[illegible]
			[illegible]	१०२२=८६	
			[illegible]	१२५=२२	
			[illegible]	४६७=१२	
				७०२१=१६[illegible]	
				[illegible] १०=६७ [illegible]	
				[illegible] २८=४७ [illegible]	

सच्ची प्रतिलिपि [illegible] 27.6.84
[illegible] वन संरक्षक [illegible]
उदयपुर (राज०)

P.C.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ ([illegible])

राजकीय मुद्रणालय 70 1-11-78-3000 [illegible]

Scanned with OKEN Scanne

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या एफ ७ (२३७) रेवेन्यू/क/५४ दिनांक १३-१०-५४

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का राजस्थान अधिनियम, संख्या १३) की धारा (२९) की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (२९) की उपधारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
आर० के० चतुर्वेदी
शासन सचिव
राजस्थान सरकार

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
चित्तौड़	प्रतापगढ़	चिकलाड रेन्ज देवगढ़	१ आड़ा वेला २ ब्रून गढ़ ३ फूंगा तालाब ४ ओर डी ५ मचरी	७८०७-८०	सीमा रेखा का विवरण परिशिष्ट अ संलग्न है।

परिशिष्ट (अ)

वन खण्ड चिकलाड रेन्ज या विस्तार देवगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं.	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ीयों में जरीब	कड़ियां	एप्रोक्सीमेन्ट बेरींग दिशा		आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
१	२	३	४	५	६		७
१	१	२	२४	२०	उ० पू० पूर्वीय	८४-००	सीधी रेखा
२	२	३	३३	११	उत्तर पूर्वीय	५१-००	,,
३	३	४	१५	२०	द० पू० पूर्वीय	१०४-००	,,
४	४	५	२०	२०	उ० पू० पूर्वीय	७७-००	,,
५	५	६	२१	७७	द० पूर्वीय	१२९-००	,,
६	६	७	१०	६७	पूर्वीय	९१-००	,,
७	७	८	२४	८५	द० पू० पूर्वीय	१०४-००	,,
८	८	९	४५	१९	पूर्वीय	६४-००	,,
९	९	१०	४३	३३	पूर्वीय	९९-००	,,
१०	१०	११	१७	८०	पूर्वीय	८८-००	,,
११	११	१२	१०	१०	द० द० पूर्वीय	१५७-००	,,
१२	१२	१३	९	०५	द० पूर्वीय	१२९-००	,,
१३	१३	१४	१०	७०	द० द० पूर्वीय	१६७-००	,,
१४	१४	१५	८	[illegible]	द० द० पश्चिमीय	२०६-००	,,
१५	१५	१६	४	१२	द० द० पूर्वीय	१६२-००	,,
१६	१६	१७	४	[illegible]	पूर्वीय	६७-००	,,

P.C.A.
सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

१	२	३	४	५		६	७
१९०	१८७	१८८	१२	८०	पश्चिमीय	२६८-००	सीधी रेखा
१९१	१८८	१८९	११	६०	उ० पश्चिमीय	३१६-००	,,
१९२	१८९	१९०	१०	६२	पश्चिमीय	२७५-००	,,
१९३	१९०	१९१	८	७०	उत्तरीय उत्तर पश्चिमीय	३३९-००	,,
१९४	१९१	१९२	२५	९९	पश्चिमीय	२७३-००	,,
१९५	१९२	१९३	१७	९५	द० पश्चिमी पश्चिमीय	२४७-००	,,
१९६	१९३	१९४	६	५०	द० प० पश्चिमीय	२१०-००	,,
१९७	१९४	१९५	९	४५	पश्चिमीय	२५९-००	,,
१९८	१९५	१९६	१२	७३	—	२६६-००	,,
१९९	१९६	१९७	२३	४०	द० पश्चिम पश्चिमीय	२३७-००	,,
२००	१९७	१९८	४	४०	उत्तरीय	९-००	,,
२०१	१९८	१९९	३	८५	——	१-१०	,,
२०२	१९९	२००	५	२०	उ० उत्तर पूर्वीय	१९-००	,,
२०३	२००	२०१	६	५५	उत्तरीय	७-००	,,
२०४	२०१	२०२	१४	७५	उत्तर उ० पूर्वीय	२५-००	,,
२०५	२०२	२०३	९	३५	उत्तर पूर्वीय	३७-००	,,
२०६	२०३	२०४	५	३९	उ० उ० पश्चिमीय	३३१-००	,,
२०७	२०४	२०५	५	१३	उ० पश्चिमीय	३२२-००	,,
२०८	२०५	२०६	३	१५	उ० पश्चिमीय	३०९-००	,,
२०९	२०६	२०७	३	५०	——	३२०-००	,,
२१०	२०७	२०८	३	५९	उत्तर उत्तर पश्चिमीय	३४३-००	,,
२११	२०८	२०९	७	६६	उत्तरीय	३५०-००	,,
२१२	२०९	२१०	८	८७	उ० उ० पश्चिमीय	३३७-००	,,
२१३	२१०	२११	६	६०	उत्तरीय	३५०-००	,,
२१४	२११	२१२	७	६२	उ० पूर्वीय	४९-००	,,
२१५	२१२	२१३	८	३२	पूर्वीय	९४-००	,,
२१६	२१३	२१४	१०	२०	द० द० पूर्वीय	१५१-००	,,
२१७	२१४	२१५	२६	००	पूर्वीय	५१-००	,,
२१८	२१५	२१६	३	०५	उत्तरीय	९-००	,,
२१९	२१६	२१७	२३	२०	उ० उ० पश्चिमीय	३३०-००	,,
२२०	२१७	२१८	१५	१०	पश्चिमीय	२८०-००	,,
२२१	२१८	२१९	२	३०	——	२६५-००	,,
२२२	२१९	२१९ :१:	१	१०	——	२६५-००	,,
२२३	२१९ :१:	२१९ :२:	१०३	५०	— —	लाइन नाला २ समो पेन्न के साथ है	
२२४	२१९ :२:	१	१	६५	——		सीधी रेखा

टिप्पणी:—

१. जरीब ६६ फीट की होती है, जिसमें १०० कड़ियां होती है।
२. यहां दिये गये माप भूमि सतह पर के माप है।
३. कॉलम संख्या ६ के कोष्ठक में प्रोजेक्टेड बेरिंग दर्ज किये गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
आर. के. चतुर्वेदी
शासन सचिव

P.C.A.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner